5/5/23

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। काफी दिनों नहीं बावजूद काफी दिनों के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थीगण के बहस सुनी। आदेश अलग से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली निर्णय अनुसार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.02.26 17:50:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 195/2022

प्रार्थीगण

1. प्रागाराम वल्द रतनाराम
2. केहनाराम वल्द रतनाराम
3. करनाराम वल्द रतनाराम
4. बाबूलाल वल्द रतनाराम
5. छगनाराम वल्द रतनाराम
   कौम मेघवाल साकिन भाटाला तहसील सिणधरी हाल निवासी खुडाला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी
2. मोटा वल्द मदरूपाराम
3. चेतनराम वल्द मोटाराम
4. अणसीदेवी पत्नी छगनाराम
5. नीलम पत्नी बलवन्तराम
   कौम मेगवाल साकिन खुडाला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
6. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी. सडा बैंक

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते लट्ठा ट्रेस में तरमीम दुरस्त करने बाबत्

उपस्थित : श्री चिमनसिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 04/04/23

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् तरमीम दुरस्ती का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि मौजा खुडाला में खेत खसरा संख्या 137/2 रकबा 2.5900 हैक्टेयर किस्म बा.सो. की आई हुई है। प्रार्थीगण द्वारा यह भूमि जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज विप्रार्थी संख्या 2 मोटा वल्द मदरूपा जो उस समय मूल खातेदार था मूल खसरा संख्या 137 में से दिनांक 04.07.1998 को क्रय की गई थी। प्रार्थीगण द्वारा क्रय की गई उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करते समय लट्ठा ट्रेस में तरमीम पंजीवद्ध दस्तावेज के अनुसार नहीं कर दी गई जबकि प्रार्थीगण को कब्जा पंजीवद्ध दस्तावेज के अनुसार करवाया। वर्तमान में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त व लट्ठा ट्रेस में भिन्नता की जानकारी होने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.02.26 17:50:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

राजस्व कार्मिकों द्वारा उक्त कलमीय भूल सुधार हेतु तरमीम दुरूस्ती का यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में लाना आवश्यक होने से पेश किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण संख्या 2 ता 6 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 1 भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिर्पोट कमांक 306 दिनांक 15.02.2023 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के ग्राम खुडाला के खसरा संख्या 137/2 रकबा 2.5990 हैक्टेयर (16–00 बीघा) की तरमीम प्रार्थीगण के कब्जा काश्त से भिन्न है सही तरमीम नक्शा ट्रेस में बरंग "लाल" दर्शाए अनुसार तरमीम दुरूस्ती किया जाना उचित है।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक श्री चिमनसिंह चौधरी की बहस सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड तथा भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत मौका रिर्पोट का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया। तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि राजस्व नक्शा ट्रेस में अंकित तरमीम व पंजीवद्ध दस्तावेज में दर्ज पाडौस में भिन्नता है तथा तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त व लट्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम में भिन्नता होने की पुष्टि करते हुए तरमीम दुरूस्त करने की सहमति दी है। अतः तहसीलदार गुड़ामालानी की अनुशंषा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट कमांक 306 दिनांक 15.02.2023 द्वारा मौजा खुडाला के खेत खसरा नम्बर 137/2 रकबा 2.5990 हैक्टेयर की प्रस्तावित तरमीम बरंग 'लाल' अनुसार प्रस्तावित तरमीम जमाबन्दी में अंकित रकबे की सीमा तक शुद्ध करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट कमांक 306 दिनांक 15.02.2023 मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार गुड़ामालानी आदेश की पालना कर पालना रिर्पोट एक माह में पेश करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.02.26 17:50:15 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी